न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 11/2025

अपीलार्थी

1. ग्राम पंचायत उमरणी जरिए प्रशासक बबीतादेवी पत्नि श्री कमलेश कुमार गरासिया निवासी जोडफली दानवाव तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार आबूरोड जिला सिरोही।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :

1. श्री नरपतसिंह देवडा अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से।
2. तहसीलदार (पेरोकार राज.)

निर्णय **दिनांक : 24.02.2026**

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार आबूरोड द्वारा उनके नामान्तरकरण संख्या 528 दिनांक 04.02.2013 के विरूद्ध दिनांक 18.11.2025 को प्रस्तुत की, जिस पर अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलांट अधिवक्ता के निवेदन पर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किया जिस पर रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के लायक अधिवक्ता श्री नरपतसिंह देवड़ा द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ग्राम पंचायत, उमरनी, तहसील आबूरोड, जिला सिरोही की निर्वाचित सरपंच होकर वर्तमान में प्रशासक है। ग्राम पंचायत उमरनी के अधीन मौजा दानवाव गाँव आता है। ग्राम पंचायत उमरनी पूर्व में ग्राम पंचायत आकरा भट्टा से विभाजित होकर नई ग्राम पंचायत बनी है। ग्राम पंचायत उमरनी के गाँव दानवाव में आबादी भूमि के विस्तार हेतु तत्कालीन ग्राम पंचायत आकराभट्टा द्वारा राजकीय भूमि मौजा दानवाव के खसरा नंबर 64 रकबा 5 बीघा भूमि को उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेश कमांक/राजस्व/97/343, दिनांक 24.04.1997 को आवंटन करवाया था। यह कि तत्कालीन ग्राम पंचायत आकराभट्टा के गाँव दानवाव के आबादी विस्तार हेतु श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा दिनांक 24.04.1997 को भूमि आवंटित की गयी थी, लेकिन उसका

जिला कलेक्टर, सिरोही

....लगातार पेज नं. 02

नामांतरकरण ग्राम पंचायत के नाम दिनांक 04.02.2013 को तहसीलदार आबूरोड द्वारा स्वीकृत किया गया है। तत्पश्चात ग्राम पंचायत आकरा भट्टा का विभाजन होने से उक्त गाँव दानवाव पटवार हल्का मानपुर वर्तमान में ग्राम पंचायत उमरनी के अधीन आता है। यह कि ग्राम पंचायत उमरनी के अधीन गाँव दानवाव के खसरा संख्या 64 रकबा 5 बीघा भूमि आवंटन की गयी थी, जिसकी किस्म गैर मुमकिन मगरी के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने से उक्त भूमि ग्राम पंचायत उमरनी के आबादी विस्तार में अडचन आ रही है, जबकि मौके पर उक्त सम्पूर्ण भूमि मगरी न होकर समतल चट्टान है और मगरी जैसे अवशेष नहीं होने से आबादी विस्तार एवं आमजन को दस्तावेज प्राप्त करने व उस पर ऋण लेने में असुविधा हो रही है, जबकि मौके पर समतल चट्टान भूमि है। यह कि उपरोक्त वर्णित खसरा संख्या 64 की भूमि में अपीलार्थी अपने हक हिस्से अनुसार काबिज है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में भूमि की किस्म आबादी दर्ज न होकर गैर मुमकिन मगरी दर्ज होने से ग्राम वासियों को भारी असुविधा का सामना कर पड रहा है और उनके आबादी अधिकारों से वंचित होना पड रहा है। यह कि राजस्व अधिकारियों द्वारा नामांतरकरण में भूमि की किस्म का नाम आबादी दर्ज नहीं किये जाने से अपीलार्थी को ग्राम पंचायत के आबादी विस्तार के हक अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे है तथा नामांतरकरण एक फिस्कल एन्ट्री है। राजस्व अधिकारियों द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में दर्ज किये गये नामांतरकरण में भूमि की किस्म सुधार नहीं करने से ग्राम पंचायत के हक अधिकार समाप्त नहीं होते है। लेकिन उक्त भूमि की किस्म सुधार नहीं होने से आबादी विस्तार में ग्राम वासियों को भारी असुविधा उत्पन्न हो रही है। यह कि नामांतरकरण संख्या 528 के प्रति की नकल अपीलार्थी द्वारा मांगने पर नियमानुसार नामांतरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी स्तर पर उक्त किस्म को शुद्ध किये जाने की चाराजोही की गयी थी, लेकिन उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को अवगत करवाया गया कि उक्त किस्म सुधार न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है, जिस पर बिना किसी देरीना यह अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 528 दिनांक 04.02.2013 में भूमि की किस्म गैर मुमकिन मगरी के स्थान पर आबादी दर्ज करने का आदेश प्रदान कराना फरमावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से बहस में पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि ग्राम दानवाव के खसरा संख्या 64/1 रकबा 05 बीघा किस्म गैर मुमकिन मगरी दर्ज रेकर्ड था, जिसमें राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 6()7() राज/बी/67 दिनांक 17.01.1967 के द्वारा ग्राम पंचायत आकराभट्टा को आंवटन किया गया, जिसमें खसरे की किस्म का परिवर्तन नहीं किया जाकर किस्म गैर मुमकिन मगरी ही रखा गया। मौके पर उक्त भूमि गैर मुमकिन चट्टान है। यह कि राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 6()7() राज/बी/67 दिनांक 17.01.1967 एवं उपखण्ड अधिकारी महोदय आबूपर्वत के आदेश क्रमांक/सम/97/3113 दिनांक 24.04.1997 के द्वारा आवंटन किया गया था, जिसमें खसरे की किस्म का परिवर्तन नहीं किया जाकर किस्म गैर मुमकिन मगरी ही रखा गया। जिस अनुसार ही ग्राम दानवाव के नामान्तरण संख्या 528 दिनांक 04.02.2013 से राजस्व रेकर्ड में ग्राम पंचायत आकराभट्टा के खसरा संख्या 64/1 रकबा 05 बीघा किस्म गैर मुमकिन मगरी दर्ज हुआ, जो कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अतः जवाब श्रीमान् की सेवा में सादर प्रेषित है।

जिला कलेक्टर, सिरोही

....लगातार पेज नं. 03

दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भलीभॉति अध्ययन एवं अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति का भी अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि विवादित भूमि मौजा दानवाव पटवार हल्का मानपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही में स्थित खसरा संख्या 64/1 रकबा 5 बीघा भूमि किस्म गैर मुमकिन मगरी आई हुई है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि मौजा दानवाव की उक्त विवादित भूमि खसरा संख्या 64/1 रकबा 5 बीघा भूमि किस्म गैर मुमकिन मगरी भूमि को राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 6(7) राज/बी/67 दिनांक 17.01.1967 के अनुसार उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा जरिए आदेश क्रमांक/सम/97/3113 दिनांक 24.04.1997 के द्वारा ग्राम पंचायत आकराभट्टा को आंवटन किया गया, जिसका नामान्तरकरण संख्या 528 दिनांक 04.02.2013 तहसीलदार आबूरोड द्वारा स्वीकृत कर राजस्व रेकर्ड में ग्राम पंचायत आकराभट्टा के नाम दर्ज की गई थी। ग्राम पंचायत आकरा भट्टा का विभाजन होकर नई ग्राम पंचायत उमरणी बनाई गई, जिसमें गाँव दानवाव पटवार हल्का मानपुर को ग्राम पंचायत उमरनी के अधीन रखा गया, जिस पर उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 64/1 रकबा 5 बीघा वर्तमान में ग्राम पंचायत उमरणी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि उपरोक्त वर्णित विवादित भूमि का उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा ग्राम पंचायत को आवंटन किए जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार आबूरोड द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 528 दिनांक 04.02.2013 में उक्त विवादित खसरा संख्या 64/1 रकबा 5 बीघा भूमि ग्राम पंचायत के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज तो कर दी गई थी, परन्तु उक्त नामान्तरकरण संख्या 528 दिनांक 04.02.2013 में विवादित खसरा संख्या 64/1 रकबा 5 बीघा की किस्म का परिवर्तन नहीं किया जाकर किस्म गैर मुमकिन मगरी ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई थी, जबकि उपरोक्त वर्णित भूमि का उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा ग्राम पंचायत के पक्ष में आवंटन किए जाने से उसकी किस्म में भी परिवर्तन किया जाना चाहिए था, परन्तु नामान्तरकरण संख्या 528 दिनांक 04.02.2013 को स्वीकृत करते समय तहसीलदार आबूरोड द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि की किस्म में परिवर्तन नहीं किया गया था, जिससे यह प्रतीत होता है कि तहसीलदार आबूरोड द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 528 दिनांक 04.02.2013 को स्वीकृत करने से पूर्व उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आवंटन आदेश क्रमांक/सम/97/3113 दिनांक 24.04.1997 का अवलोकन नहीं किया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है।

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

चूंकि अपीलांट द्वारा उक्त अपील तहसीलदार आबूरोड द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 528 दिनांक 04.02.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 18.11.2025 को विलम्ब से प्रस्तुत की है और उक्त अपील को विलम्ब से प्रस्तुत किए जाने हेतु अपीलांट द्वारा अलग से भारतीय म्याद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, परन्तु उनके द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि अपीलार्थी को उक्त नामान्तरकरण आदेश की जानकारी होने पर आलोच्य आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर यह अपील अन्दर म्याद 30 दिन पेश कर दी गई। इस सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट द्वारा भी ऐसा किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि अपीलार्थी को उक्त नामान्तरकरण आदेश की

जिला कलेक्टर, सिरोही

....लगातार पेज नं. 04

पहले से ही जानकारी थी। अतः अपीलांट के प्रति नरमाई का रूख अपनाते हुए न्यायहित में उक्त अपील को अपीलांट की जानकारी की दिनांक से माना जाकर अन्दर म्याद माना जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण को स्वीकृत करने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 6(7) राज/बी/67 दिनांक 17.01.1967 एवं उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आवंटन आदेश क्रमांक/सम/97/3113 दिनांक 24.04.1997 का अवलोकन नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 528 दिनांक 04.02.2013 को निरस्त किया जाकर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि रेकर्ड एवं दस्तावेजों की जांच कर पुनः नए सिरे से नियमानुसार नामान्तकरण आदेश पारित करें।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)